न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 4398 / 2003 / बांरा

ओम प्रकाश पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहमण आयु 43 वर्ष, निवासी ग्राम पचेलकलां, तहसील अंता जिला बांरा।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र भैरूलाल
2. रामलाल पुत्र भैरूलाल
3. देवकरण पुत्र रामपाल
4. तोलाराम पुत्र रामपाल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम पचेलकलां, तहसील अंता जिला बांरा।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :–

श्री अजीत सिंह राठौड, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रत्यर्थी।

निर्णय **दिनांक**

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील सं. 106 / 2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–8–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

1955 के तहत् न्यायालय सहायक कलेक्टर, अंता के समक्ष पेश कर कथन किया कि ग्राम पचेलकलां में स्थित आराजी खसरा नंबर 144 रकबा 1.25 हैक्टयर भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है। जिसमें वादी ने हाक जोत कर सोयाबीन की फसल बो रखी है। प्रतिवादी जो एक ही परिवार के है, वादी की आराजी पर जबरन कब्जा कर अतिक्रमण करना चाहते है। अतः उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने की डिक्री जारी की जावे। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–4–03 द्वारा खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने भी अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–8–03 द्वारा खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। विवादित आराजी अपीलार्थी वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअदांज कर दिया कि उनके समक्ष दो वाद प्रस्तुत हुये थे। अपीलांट ने स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया था तथा प्रतिवादी रेस्पोडेंट ने घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था। जिसे विचारण न्यायालय ने कंसोलिडेट कर अपीलांट वादी का वाद तो खारिज कर दिया किंतु प्रतिवादी का वाद डिक्री कर दिया। अपीलांट वादी विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। वादी ने इस सम्बंध में कायम तनकी को बाखुबी साबित किया था। किंतु तनकी सं.1 उसके विरूद्ध त्रुटिपूर्ण तरीके से निर्णित की गई। तनकी सं.2 जो कब्जे बाबत् थी, के सम्बंध में वादी ने प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक शहादत से मौके पर स्वयं का कब्जा होना साबित कराया था फिर भी उक्त तनकी अपीलांट वादी के विरूद्ध तय की गई। वादी अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह साबित कराया था कि वह वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर शांतिपूर्व काबिजकाश्त है तथा उसने प्रतिवादी के पक्ष में ना तो कोई इकरारनामा निष्पादित किया एवं ना ही उसने कभी प्रतिवादी को कब्जा सौंपा। प्रतिवादी का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं

है, वह बिला वजह वादी के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप करते है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय को वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री करना चाहिये था। प्रथम अपील भी अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी तरीके से खारिज कर दी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए अपीलार्थी का वाद नियमों के विरूद्ध खारिज किया है। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे।

4— विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि वादी अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजी का बेचान प्रतिवादी के पक्ष में कर कब्जा दे दिया था। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया है तथा वादी का वाद खारिज किया गया। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसमें अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे।

5— अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6— पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तहत् न्यायालय सहायक कलेक्टर, अंता के समक्ष ग्राम पचेलकलां में स्थित आराजी खसरा नंबर 144 रकबा 1.25 हैक्टयर बाबत् पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है तथा प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर जबरन कब्जा कर अतिक्रमण करना चाहते है। अतः उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने की डिक्री जारी की जावे। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22—4—03 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील भी खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य से विवादित आराजी अपीलांट वादी की खातेदारी आराजी है किंतु विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात को वादी अपीलांट साबित करने में असफल रहने की स्थिति में विचारण

न्यायालय द्वारा अपीलांट वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं माना है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी वादी का वाद दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक विवाद्यक विरचित करते हुये विस्तृत विवेचन व विश्लेषण से खारिज किया है, जिसकी प्रस्तुत अपील, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुये खारिज की है।

7— इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि योग्य विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, अन्ता ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22—4—03 पारित करने में तथा योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 26—8—03 से योग्य विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में विधि या तथ्य संबंधी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की है। उक्त दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें उपर्युक्त विवेचनानुसार विधि या तथ्य संबंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि प्रकट नहीं होती हैं, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8— परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय की निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष